प्रारूप–ख

देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर

क्रमांक/भूमि रूपा0/15/ 966-70 दिनांकः 18/5/15

श्री दशमेश जन कल्याण समिति रामबास सचिव श्री सुखवंत सिंह कोम जटसिख निवासी रामबास तहसील गांविन्दगढ जिला अलवर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृतिः टिनेन्सी में धारित कृषि भूमिका राजस्व भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टितयां नीचे दी गई है।

1	आवेदक खोतदारी अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	श्री दशमेश जन कल्याण समिति रामबास सचिव श्री सुखवंत सिंह कोम जटसिख निवासी रामबास तहसील गांविन्दगढ
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति का सदस्य है	नही
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा	शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ
4	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम रामबास एवं ग्राम पंचायत रामबास तह0गोविन्दगढ
5	भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	1627/393 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा में से 2500 वर्गमीटर शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ
6	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उप्रदर्शित करते हुये संपरिर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर में या वर्गमीटर में)	1627/393 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा में से 2500 वर्गमीटर शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ
7	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ
8	संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर	5 रु0 प्रति व0मी0 या डीएलसी की दर का 10 प्रतिशत या पंजियन दस्तावेज का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो प्रा0 पत्र में डीएलसी की दर का 10 प्रतिशत से गणना
9	चालान की संख्या और दिनांक सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	जी.आर.एन.नम्बर 3437716 दिनांक 25.09.201 से रू0 135085/–राशि जमा
10	चालान की संख्या और दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा करायी गई रकम	नही
11	क्या आदेश विनियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नही
12	अन्य विशिष्टियॉ यदि कोई हो	–

नोटः– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन है।

13. आवेदित भूमि सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0, उपखण्ड , गोविन्दगढ, अलवर के पत्र क्रमांक 147 दिनांक 17.07.2014 के अनुसार प्रस्तावित भूमि गोविन्दगढ–सीकरी सडक से 150 मीटर दूरी पर है। उक्त सडक से ग्रेवल सडक प्रस्तावित खसरे तक जाती है का मार्गाधिकार 18 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। अर्थात ग्रेवल सडक 18 मीटर चौडी रहेगी।

14. भूखण्ड पर निम्न भवन मानदण्डों (संलग्न मानचित्र) के अनुरूप भवन निर्माण अनुज्ञेय होगा–
    - अग्र सेटबेक – 15.0 मीटर (बफर जोन))
    - शेष तीनो तरफ के सेटबेक –9 मीटर
    - भवन की अधिकतम उंचाई मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के अनुसार
    - यदि सैटबेक में पूर्व में कोई निर्माण है तो उसे हटाना होगा ।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज.

15. संस्थान से सम्बन्धित तथा आगन्तुकों के वाहनों की पार्किंग, मॉडल राजस्थान(नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के प्रावधानानुसार एवं प्रस्तावित भूमि के अन्दर ही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

16. संस्थान द्वारा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन का निर्माण करने की स्थिति में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध करनी होगी ।
17. संस्थान द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरी क्षेत्र भवन) विनियम, 2010 प्रारूप के प्रावधानानुसार भू–गर्भ का जलस्तर बढाने हेतु वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिये समुचित क्षमता का भूमिगत एक या एक से अधिक टेंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोक पीट **(Soak pit)** जैसी अन्य व्यवस्था की जायेगी।
18. संस्थान द्वारा भवन को भूकम्परोधी बनाने एवं अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.10 (10)नाविवि/3/2003 दिनांक 24.10.07 में उल्लेखित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए समिति स्वयं उत्तरदायी होगी।
19. संस्थान द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों, आदि के सभी संबन्धित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।
20. सम्पूर्ण भूमि का उपयोग शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ के अतिरिक्त अन्य उपयोग में नही लिया जावेगा।
21. भवन का उपरोक्त प्रावधानों सहित निर्माण कार्य सक्षम आथोरिटी से मानचित्र अनुमोदित कराने के पश्चात ही भवन का निर्माण किया जावेगा।
22. मॉडल राजस्थान (नगरी क्षेत्र भवन) विनियम, 2010 में उल्लेखित सम्बन्धित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
23. क्षेत्रफल व राशि की जांच तहसील राजस्व लेखाकार लक्ष्मणगढ द्वारा की गई।
24. प्रस्तावित स्थल का एक ही प्रवेश द्वार रखा जावेगा ।
25. शैक्षणिक गतिविधी का स्तर भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात व शिक्षा विभाग के नियमानुसार होगा ।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ–अलवर

दिनांक: 18/8/15

कमांक/भूमि रूपा0/13/ 866-70
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2 तहसीलदार गोविन्दगढ़ को पालनार्थ।
3 श्री दशमेश जन कल्याण समिति रामबास सचिव श्री सुखवंत सिंह कोम जटसिख निवासी रामबास तहसील गांविन्दगढ जिला अलवर
4 सरपंच ग्राम पंचायत रामबास पं0स0 लक्ष्मणगढ।
5 कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ–अलवर